जनगणना: 5931 गणना ब्लॉक में अधिकारियों की नियुक्ति

42 हिस्सों में बंटा इंदौर जिला

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

इंदौर. जनगणना को व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए जिला प्रशासन ने इंदौर को 42 अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित किया है। इस नई संरचना के जरिए हर इलाके में जिम्मेदारियां तय कर काम को एक साथ और बेहतर तरीके से पूरा करने की योजना है। प्रशासन के अनुसार, जिले को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए बांटा है। इसमें 22 शहरी जोन, 10 तहसील, 8 नगर परिषद और महू कैंटोनमेंट बोर्ड को शामिल किया है। हर स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की हैं।

जिले में 10 लाख से ज्यादा मकानों और निर्माणों की नंबरिंग पूरी कर ली गई है। इसी आधार पर 5931 गणना ब्लॉक तैयार किए हैं, जहां प्रगणक तैनात किए जाएंगे। हर ब्लॉक में औसतन 180 से 200 मकान और करीब 750 से 800 लोगों को शामिल किया है, ताकि डेटा संग्रहण संतुलित और व्यवस्थित तरीके से हो सके।

शहरी-ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को बराबर प्राथमिकता

ब्लॉकों के गठन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को संतुलित रखा है

- ग्रामीण क्षेत्र- 2070 ब्लॉक, करीब 3.90 लाख निर्माण
- शहरी क्षेत्र- 3861 ब्लॉक, 7.15 लाख से अधिक निर्माण

दो चरणों में होगी पूरी जनगणना

जनगणना प्रक्रिया को दो हिस्सों में पूरा किया जाएगा

- पहला चरण (हाउस लिस्टिंग)- 1 मई से 30 मई, इस दौरान प्रगणक घर-घर जाकर 38 ऑनलाइन सवालों के माध्यम से मकानों और परिवारों की जानकारी जुटाएंगे।
- दूसरा चरण (जनसंख्या गणना): 1 से 28 फरवरी 2027, इसमें जिले की वास्तविक आबादी का आंकड़ा तैयार किया जाएगा।

25 तक प्रशिक्षण

जनगणना कार्य को सटीक बनाने के लिए कर्मचारियों को 16 से 25 अप्रेल तक 10 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें 129 फील्ड ट्रेनर प्रगणकों और सुपरवाइजरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा 5 मास्टर ट्रेनर भी तैनात किए हैं।

ब्लॉक टाइल्स से सिर कुचलकर ढाबा कर्मचारी की हत्या

इंदौर @ पत्रिका. लसूड़िया थाना क्षेत्र में ब्लॉक टाइल्स से सिर कुचलकर ढाबा कर्मचारी की हत्या कर दी गई। पुलिस को शव के पास से एक नंबर मिला। इसके आधार पर मृतक की पहचान कड़वाजी (51) पिता राजाराम निवासी कबीटखेड़ी के रूप में हुई। एसीपी पराग सैनी ने बताया कि शुक्रवार सुबह आइडीए की हरसिंगार बिल्डिंग के समीप शव मिलने की सूचना मिली थी। व्यक्ति की ब्लॉक टाइल्स से सिर कुचलकर हत्या की गई है। मृतक की जेब में पर्ची मिली, जिसमें मौसा जी लिखा था। उस नंबर पर कॉल किया तो पुलिस परिजन तक पहुंची। परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं। कड़वाजी बापट चौराहे के पास वाइन शॉप के समीप स्थित ढाबे पर कर्मचारी थे और कभी-कभी घर आते थे। वारदात के कारणों का पता लगा रहे हैं।

मंडप सजा था, दुल्हन को लग रही थी मेहंदी

अहिल्या पलटन में बाल विवाह रोका, पिता बोले-समाज में छूट है

इंदौर @ पत्रिका. शहर के अहिल्या पलटन इलाके में शुक्रवार को संभावित बाल विवाह को प्रशासन की टीम ने समय रहते रुकवा दिया। यहां मंडप सजा था, दुल्हन को हल्दी लगाई जा रही थी और गीत गाए जा रहे थे। शिकायत मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम मौके पर पहुंची।

टीम को लड़की के पिता ने कहा कि उनके समाज में कम उम्र में शादी की परंपरा है और उन्हें दो साल पहले विवाह करने की छूट है। 16 साल की उम्र में भी शादी कर सकते हैं। अफसरों ने कानूनी छूट का प्रमाण मांगा तो वे जवाब नहीं दे पाए। जांच में सामने आया कि लड़की की उम्र 18 साल होने में 6 महीने बाकी हैं। अफसरों ने दोनों पक्षों को कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। समझाइश के बाद दोनों परिवार शादी रोकने पर राजी हो गए। हालांकि उन्होंने बताया, शादी की तैयारियों में खर्च हो चुका है और मेहमानों को खाली लौटाना ठीक नहीं होगा। प्रशासन ने केवल मेहमानों को भोजन कराने की अनुमति दी।

विवाह वाले दिन भी रहेगी निगरानी

अधिकारियों ने बताया कि 19 अप्रेल को जिस दिन शादी होनी थी, उस दिन भी टीम नजर रखेगी। यदि शपथ पत्र देने के बावजूद विवाह किया गया तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई होगी।

बाइक सवार पर टूटकर गिरा पेड़, हेलमेट ने बचा ली जान

इंदौर @ पत्रिका. संयोगितागंज थाना क्षेत्र में बाइक सवार पर पेड़ टूटकर गिर गया। भारी भरकम पेड़ के नीचे से उन्हें लोगों ने निकाला। अच्छी बात रही कि उन्होंने हेलमेट पहना था, जिससे उनकी जान बच गई। मामले में पुलिस ने जांच की बात कही है। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में एक बाइक सवार पर पेड़ गिरता दिख रहा है। वीडियो नौलखा क्षेत्र के प्रकाश नगर का बताया जा रहा है। पेड़ किन हालातों में गिरा, इसकी जांच करवा रहे हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

कनिष्ठ अभियंता (सिविल/इलैक्ट्रिकल) की भर्ती – 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक, अपने विभिन्न कार्यालयों में कनिष्ठ अभियंता (सिविल/इलैक्ट्रिकल) के 11 पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। इस पद के लिए चयन देशव्यापी केंद्र-वार ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा और भाषा दक्षता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। सम्पूर्ण विज्ञापन बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर अप्रैल 2026 के तीसरे सप्ताह में उपलब्ध होगा और इसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ / रोज़गार समाचार में भी प्रकाशित किया जा रहा है। आवेदन पत्र बैंक की वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।

महत्वपूर्ण तारीखें:

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अवधि	16 अप्रैल 2026 - 06 मई 2026
ऑनलाइन परीक्षा की तारीख (अनंतिम)	06 जून 2026

"पैसे का वादा करने वाले ई-मेल / एसएमएस / टेलीफोन द्वारा धोखा न खाएं"

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
(भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय)
बासनी, जोधपुर (राजस्थान) पिनकोड : 342005
वेबसाईट: https://www.aiimsjodhpur.edu.in फोन नं. 0291-2740741

AIIMS.JDH/Admn/RECT./Deputation/2026

विज्ञापन

एम्स जोधपुर में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन अनुबंध सहित) के आधार पर चिकित्सा अधीक्षक पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि को 14.05.2026 तक बढ़ाया जाता है।

क्र.स.	पद का नाम	ग्रुप	वेतनमान	कुल पद
1.	चिकित्सा अधीक्षक	A	Level 14 as per 7th CPC	01

नोट:
1. पदों की संख्या अस्थायी हैं, और संस्थान की आवश्यकतानुसार बदली जा सकती हैं। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट https://www.aiimsjodhpur.edu.in पर उपलब्ध होंगे।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

Bank of India रिश्तों की जमापूंजी *Relationship beyond banking*

आंचलिक कार्यालय: स्टार हाउस, प्लॉट 9-आरसी, स्कीम नं. 134, एम. आर. 10, स्टार चौराहे के पास, इन्दौर 452010, फोन 0731 2445122-117-147

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

ई-नीलामी विक्रय सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाले/जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल संपत्ति जो **प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया)** के पास गिरवी / प्रभारित है, जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहां है ,जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित ऋणी एवं जमानतदारों से बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु **दिनांक 26.05.2026** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य अग्रिम धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमशः दी गई है।

ई-नीलामी दिनांक 26.05.2026 को प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

शाखा का नाम (1)	ऋणी / जमानतदार का नाम (2)	संपती का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (रू.) (6)	ईएमडी (7)
शाखा एआरबी इन्दौर	**श्री मनोज नागर पिता फूल सिंह नागर** **पता 1:** 17/2 जमीदारी मोहल्ला, ग्राम बरोठा तहसील एवं जिला देवास, मध्य प्रदेश (455001) **पता 2:** सर्वे नंबर 952/1/3 (होटल डायमंड) पी.एच. नम्बर 78, तहसील एवं जिला देवास, मध्य प्रदेश (455001)	परिवर्तित भूमि पर स्थित भूमि और भवन सर्वे नम्बर 952/1/3, ग्राम सिरोलिया, तहसील एवं जिला देवास, **संपत्ति मालिक:** श्री मनोज पिता फूल सिंह नागर, परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर, **संपत्ति की चतुर्सीमा: पूर्व:** विकेता की शेष भूमि, **पश्चिम:** विकेता की शेष भूमि, **उत्तर:** बरोठा रोड, **दक्षिण:** नथुलाल जी की भूमि।	01.06.2023 ₹ 49,20,427.35 + ब्याज एवं अन्य खर्च	16.08.2023 सांकेतिक	₹ 51.25 लाख	₹ 5.13 लाख
शाखा एआरबी इन्दौर	1. श्रीमती पिंकी मीना पति स्व. श्री सचिन मीना, 2. मास्टर ऋषि मीना पिता स्व. श्री सचिन मीना, प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती पिंकी मीना के माध्यम से, 3. मास्टर समर मीना पिता स्व. श्री सचिन मीना, प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती पिंकी मीना के माध्यम से सभी निवासी हनुमान मंदिर के पास, देशवाली मोहल्ला ग्राम बरुडपोस्ट बरुड जिला खंडवा-450771 (म.प्र.), (सभी स्व. श्री सचिन मीना के कानूनी उत्तराधिकारी)	अचल संपत्ति के समस्त भू भाग एवं अंश खसरा नम्बर 68/2, पीएच नम्बर 38, ग्राम भातलपुरा, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर, साथ में संयंत्र और मशीनरी, **संपत्ति मालिक:** श्री सचिन मीना पिता बलिराम मीना, **चतुर्सीमा: - उत्तर:-** खरगोन देशगांव रोड, **दक्षिण:-** रास्ता, **पूर्व:-** मरल्का मार्ग और भूमि, **पश्चिम:-** सर्वे नम्बर की शेष भूमि जो शहनाज को बेची गई थी **(नोट- उसी भूमि पर प्लांट एवं मशीनरीज स्थित है, इसलिए औद्योगिक भूमि, भवन , संयंत्र मशीनरी एवं उपकरण की एक ही बोली लगेगी)**	11.09.2024 ₹ 49,24,632.96 + ब्याज एवं अन्य खर्च	19.02.2026 सांकेतिक	औद्योगिक भूमि और भवन: ₹ 30.46 लाख; संयंत्र मशीनरी और उपकरण: ₹ 13.50 लाख; औद्योगिक भूमि, भवन, संयंत्र और उपकरण की कुल आरक्षित और ईएमडी कीमत: ₹43.96 लाख	औद्योगिक भूमि और भवन: ₹ 3.05 लाख; संयंत्र मशीनरी और उपकरण: ₹ 1.35 लाख; कुल: ₹ 4.40 लाख

क्रेता के द्वारा स्टाम्प शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, टी.डी.एस. सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दरों और संपत्तियों से संबंधित कोई अन्य खर्च, मौजूदा और भविष्य, दोनों के लिए देय होगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम से ही जारी किया जाएगा।

ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट **https://baanknet.com** बोलीकर्ता **https://baanknet.com**, नियम व शर्तो की अधिक जानकारी हेतु शैक्षणिक वीडियो के साथ देख सकते है। बोलीकर्ता को पूर्व में ही बोली पंजीयन की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। नीलामी से संबंधित सभी जानकारी ई-नीलामी दिनांक से पहले ही प्राप्त कर लेने की सभी जवाबदारी बोलीकर्ता की रहेगी।
ए. सफल बोलीकर्ता को घोषणा के तुरंत बाद बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) जमा करना होगा।
बी. नीलामी- बिक्री की कार्यवाही में बैंकिंग लेनदेन का समय समाप्त होने के पश्चात, खरीद मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) अगले कार्य दिवस तक जमा कराना होगा।
सी. बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की दिनांक से 15 वें (पंद्रहवें) दिन के भीतर जमा किया जाना होगा।
डी. उपर उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, जमा और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा।
इ. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा **194-IA** के तहत लागू 1% की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रु. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म **26QB** आनलाईन भरकर जमा कराना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म **16B** में जारी करना होगा। खरीदार को सरकारी खाते मे आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
एफ. बोली केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत की जाएगी।
जी. प्राधिकृत अधिकारी का उक्त ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
एच. आरक्षित मूल्य से कम से कम एक वृद्धि राशि जोडने पर ही बोली स्वीकार होगी।

दिनांक : 18.04.2026, स्थान: इन्दौर — प्राधिकृत अधिकारी: बैंक ऑफ इंडिया

डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश

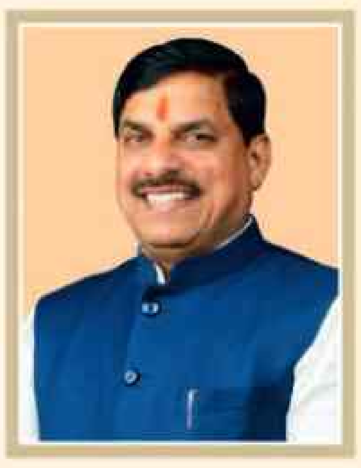

संदेश

प्रसन्नता का विषय है कि मध्यप्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य 01 मई 2026 से आरंभ हो रहा है। इसके अंतर्गत "मकान सूचीकरण और मकानों की गणना" का कार्य 30 मई 2026 तक किया जाएगा। प्रगणक घर-घर जाकर प्रत्येक मकान एवं उसमें निवासरत परिवारों से संबंधित जानकारी, निर्धारित प्रश्नावली के माध्यम से, मोबाइल ऐप के द्वारा संकलित करेंगे।

उल्लेखनीय है कि भारत की जनगणना विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक एवं सांख्यिकीय प्रक्रियाओं में से एक है। वर्तमान शताब्दी की तृतीय जनगणना वर्ष 2027 में संपादित की जानी है, जो राष्ट्र एवं राज्य के भावी विकास के लिए आधारभूत और विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध करवाएगी।

जनगणना 2027 की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें आधुनिक डिजिटल तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। प्रथम बार बड़े पैमाने पर मोबाइल ऐप आधारित डेटा संकलन किया जाएगा। जनसामान्य को "स्व-गणना" की सुविधा भी प्रदान की जा रही है, जिसके अंतर्गत वे 16 से 30 अप्रैल 2026 की अवधि में स्व-गणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इससे नागरिकों के समय की बचत होगी और जानकारी सटीक रहेगी। प्रदेशवासियों की छोटी सी सहभागिता प्रदेश और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। राज्य के प्रत्येक नागरिक से स्व-गणना पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार की सही और पूर्ण जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा है।

जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम, 1948 तथा जनगणना नियमावली, 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत संपादित किया जाता है। इन प्रावधानों के अनुसार जनगणना में संकलित समस्त व्यक्तिगत जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है, इसे किसी से साझा नहीं किया जाता है। टैक्स, पुलिस या जांच में इस जानकारी का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग किसी भी प्रकार के साक्ष्य के रूप में भी नहीं किया जा सकता। इन आंकड़ों का उपयोग केवल सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

"मकान सूचीकरण" एवं "मकानों की गणना" के इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व के सफल क्रियान्वयन के लिए मैं सभी नागरिकों, शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा करता हूँ कि वे अपने-अपने स्तर पर पूर्ण निष्ठा, उत्तरदायित्व एवं सहयोग की भावना से इस राष्ट्रीय अभियान में सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।

शुभकामनाओं सहित।

(डॉ. मोहन यादव)

D-11008/26
आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2026
मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

गृह मंत्रालय भारत सरकार

हमारी जनगणना हमारा विकास

(जनगणना 2027 का पहला चरण)
स्व-गणना (Self Enumeration) से जुड़े सामान्य प्रश्न और उत्तर (भाग-2)

स्व-गणना क्या है?
स्व-गणना एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें आप प्रगणक की प्रतीक्षा किए बिना, स्वयं SE पोर्टल (se.census.gov.in) पर अपने परिवार की जानकारी भर सकते हैं

स्व-गणना के क्या लाभ हैं?
- अपनी सुविधा से जानकारी भर सकते हैं
- गोपनीयता सुनिश्चित
- जनगणना प्रक्रिया को तेज़ और कुशल बनाती है

स्व-गणना पोर्टल में लॉग-इन कैसे करें?
- राज्य / संघ राज्य क्षेत्र चुनें
- मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल (वैकल्पिक) भरें
- OTP द्वारा सत्यापन करें
- स्व-गणना शुरू करें

अपने घर का सही स्थान कैसे चिन्हित करें?
- जिला / पिनकोड चुनें
- क्षेत्र / लैंडमार्क दर्ज करें
- मैप पर ज़ूम करें और घर के पास लोकेशन मार्क करें (सटीक पता न दिखने पर घबराएं नहीं)
- सही लोकेशन चिन्हित करना आवश्यक है

क्या मैं अपनी जानकारी बाद में संशोधित कर सकता / सकती हूँ?
- सबमिट करने से पहले एडिट कर सकते हैं
- सबमिशन के बाद, प्रगणक के आने पर ही बदलाव संभव होगा

क्या स्व-गणना (SE) पोर्टल को भारत के बाहर से एक्सेस किया जा सकता है?
नहीं, यह सुविधा केवल भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर उपलब्ध है

यदि सबमिशन के बाद गलती पता चले तो क्या करें?
प्रगणक के आने पर SE ID के साथ सुधार करवाया जा सकता है

क्या मैं फॉर्म सेव करके बाद में पूरा कर सकता / सकती हूँ?
हां, आप प्रोग्रेस सेव कर सकते हैं और निर्धारित समय के भीतर फॉर्म पूरा कर सकते हैं

टोल फ्री - 1855

CBC 19108/13/0037/2627

चलो निभाएं अपनी ज़िम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी — CensusIndia2027